



सशक्तीकरण : एक समाज शास्त्रीय विश्लेषण

डॉ. राम मेहर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग

छोटूराम किसान स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, जीन्दा

प्रत्येक समाज में स्त्रियों और पुरुषों की सामाजिक स्थिति उनके आदर्शों और कार्यों के अनुसार निश्चित होती है। इन आदर्शों और कार्यों का निर्धारण उस समाज की संस्कृति करती है। संस्कृति यह निश्चित करती है कि पारिवारिक और सामाजिक जीवन में स्त्रियों और पुरुषों का महत्व कितना है उनके क्या-क्या कार्य हैं। ये महत्व और कार्य ही यह निश्चित करते हैं कि समाज में स्त्रियों का स्थान पुरुषों के ऊपर, बराबर या नीचे होगा।

बीसवीं शताब्दी में भारत में स्त्रियों की स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। महिलाओं के लिए अब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जहां उनकी पहुंच न हो। भारत में महिला राष्ट्रपति (श्रीमती प्रतिभा पाटिल) विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री, लोकसभा एवं राज्यों की मुख्यमंत्री, लोकसभा एवं राज्य सभा की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल, राजदूत न्यायधीश, डीन इत्यादि पदों पर भी रहीं हैं। भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों या महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। 1901 में भारत में मात्र 0.60 प्रतिशत महिलाएं साक्षर थी जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार, महिला साक्षरता पर 54 प्रतिशत थी। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 1.25 लाख महिलाएं डॉक्टर बनती हैं तथा कला संकाय में बीए की उपाधि ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों का 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। भारत के 21 प्रतिशत सॉफ्टवेयर व्यावसायिक तथा 25 प्रतिशत इंजीनियर एवं विज्ञान स्नातक महिलाएं हैं। संगठित क्षेत्र के कुल कर्मचारियों का 18 प्रतिशत तथा 6.38 लाख गांवों में से 77, 210 गांवों की पंचायतों की प्रधान महिलाएं हैं। विभिन्न नागरिक संस्थानों में 10 लाख से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं। भारतीय महिलाएं भारतीय पूंजी का लगभग 30 प्रतिशत पूंजी का प्रत्यक्ष रूप में तथा 20 प्रतिशत का पूंजी का अप्रत्यक्ष रूप में निर्माण करती हैं। महिलाओं का टीवी चैनलों एवं फिल्म उद्योगों में भी अधिपत्य है।

भारत में सदैव ही स्त्रियों का आदर हुआ है। व्यावहारिक रूप में विभिन्न युगों में भारत में नारी की स्थिति उठती और गिरती

रही है इस बात में कोई दो राय नहीं हैं कि महिलाएं पदों से बाहर निकली हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनका योगदान निरंतर बढ़ रहा है। भारतीय समाज पर

दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि चंद वर्षों में ही महिलाओं ने अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं जो भले ही उनके समक्ष नयी समस्याएं पैदा करने वाले कारक बने हों, परंतु पुरानी रूढ़ियां हिल गई हैं। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जो महिलाओं से अछूता हो। पिछले 20 सालों अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। भारतीय मूल की कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम का नासा के अंतरिक्ष यात्री दल के लिए चुने गए सिविलियन मिशन विशेषज्ञों के दल में शामिल किया गया। प्रसिद्ध धाविका रोसा कुट्टी एवं भारोत्तोलक मल्लेश्वरी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चीन में विश्व भारोत्तोलक प्रतियोगिता में भारत की मल्लेश्वरी ने तीन स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकार्ड कायम किया है।

भारतीय स्त्रियों की ये उपलब्धियां जितना सच हैं, उससे बड़ा सच उनका अंधकारमय पक्ष है। हमें इस सच को नहीं भूलना चाहिए कि ये सारी उपलब्धियां शहरी महिलाओं तक ही समिति है और शहरों में भारत की जनसंख्या का मात्र 30 प्रतिशत ही निवास करती है। आंकड़े बोलते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं यदि उन्नति के पथ पर अग्रसर हुई हैं तो दूसरी और एक भयावह तस्वीर भी है। भारत की स्त्रियां चांद पर जा सकती हैं, हिमालय पर चढ़ सकती हैं फिर भी अन्याय, शोषण अत्याचार, यौनाचार, उत्पीड़न एवं भेदभाव की शिकार हैं। एक तरफ महिलाओं के उच्च स्थान प्राप्त कर लेने पर क्या ग्रामीण परिवेश एवं मलिन बस्तियों में रहने वाली एवं निम्न व मध्यम वर्ग की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन हुआ है? माध्यम वर्ग की महिलाओं के चेहरों पर असमानता, शोषण, दमन, अत्याचार की ज्वाला साफ नजर आती हैं। महिला चाहे ग्रामीण अंचल की हो या शहरी, कहीं न कहीं शोषण

ISSN : 2348-5612 © URR





से पीड़ित हैं। इसका मूल कारण पुरुष प्रधान समाज है। भारत में पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिला वर्ग माँ के गर्भ से मृत्यु की गोद तक शोषण, दमन, अत्याचार एवं उत्पीड़न का शिकार है। इस पुरुष प्रधान समाज के कारण पुरुष शासक एवं महिला शोषण बनकर रह गई हैं। नारियों के संबंध में समाज में प्रचलित अवधारणाओं के कारण भी इनकी स्थिति कमजोर हुई है। भूमि के स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण तथा निर्णय लेने की शक्ति पुरुषों के हाथों में होने के कारण महिलाएं आर्थिक रूप से पुरुष को देवता, अन्नदाता एवं स्वामी मानती हैं। आर्थिक विषमता के परिणामस्वरूप स्त्री-पुरुष के मध्य अंतर उत्पन्न हुआ और महिलाओं की स्थिति अधीनस्थ की हो गई। महिलाओं की इस स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं मौलिक कारण है- पुत्र प्राप्ति की लालसा। पुत्र को परिवार का उत्तराधिकारी, वंशबेल, संपत्ति का रखवाला एवं कुलदीपक माना जाता है। इसी मानसिकता के कारण स्त्रियां युगों-युगों से शोषित होती चली आ रही हैं। पुरुष महिला विरोधी मानसिकता, सामाजिक व्यवस्था अर्थतंत्र, धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक तंत्र, प्रशासन एवं राजनीतिक व्यवस्था पर वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं तथा महिलाएं पुरुषों पर निर्भर हैं। पुत्र की लालसा ने पुत्रियों को संपत्ति, जमीन, जायदाद, शिक्षा, पोषण, चिकित्सा सुविधाओं इत्यादि से वंचित किया है। यही कारण है कि हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष पांच लाख कन्या भ्रूणों की हत्या कर दी जाती है। 1986 से 2006 के अंतराल में लगभग एक करोड़ कन्या भ्रूणों की कोख में हत्या की गई। भारत में स्त्री-पुरुष लिंगानुपात में अंतर का सर्वाधिक अहम कारण गरीबी एवं पुत्रों का अत्यधिक महत्व है। यहां प्रतिवर्ष पैदा होने वाली 15 लाख बच्चियों में लगभग 1.5 लाख बच्चियां अपने प्रथम जन्मदिन से पूर्व तथा लगभग 25 प्रतिशत बच्चियों 15वां जन्मदिन देखने से पूर्व ही मर जाती हैं। गरीबी के कारण लड़कियों की कम खुराक, कम कैलोरी कुपोषण इत्यादि के कारण युवावस्था भी बुढ़ापे और कमजोरी में बदल जाती है। भारत में लगभग 70 प्रतिशत महिलाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। दलित, जनजातीय एवं पिछड़ी जातियों की महिलाओं की स्थिति संपन्न वर्गों एवं जातियों की महिलाओं से भी बदतर है। मातृत्व मृत्युदर का चिकित्सा एवं सामाजिक कारणों से घनिष्ठ संबंध है। महिला मृत्युदर अधिक होने से भी लिंगानुपात में असंतुलन उत्पन्न होता है। महिलाओं की संख्या में गिरावट के कारण यौन हिंसा, बाल शोषण, पत्नियों की अदला-बदली, बच्चियों का यौन उत्पीड़न, इत्यादि मामले बढ़े हैं। लड़कियों की खरीद-फरोख्त के मामले भी बढ़े हैं।

महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है। गरीब बालिका के लिए आज भी शिक्षा की अपेक्षा पेट की भूख को मिटाने के लिए काम करने को प्राथमिकता दी जाती है। केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा लड़कियों की शिक्षा हेतु कई नीतियों एवं परियोजनाओं के बावजूद 2011 की जनगणना के अनुसार के अनुसार 36 प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित पाई गई। भारत में लड़कियों की अशिक्षा के मूल कारणों में सामाजिक नियमों का लड़कियों के विरुद्ध होना प्रमुख है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक कार्य करती हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं लगभग दिनभर काम करती हैं जबकि पुरुष 4 या 5 घंटे कार्य करते हैं। परंतु महिलाओं को कार्यों को 'अदृश्य कार्य' कहा जाता है। अधिक कार्यबोझ के कारण महिलाओं को शारीरिक एवं मानसिक थकावट, कम नौद, मानसिक तनाव आदि परेशानियों से जूझना पड़ता है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं अत्याचार दिन-प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। यह अत्याचार एवं हिंसा ग्रामीण, शहरी, शिक्षित एवं अशिक्षित व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक, नौकरीपेशा एवं गृहणी, बच्ची एवं अर्धेड सभी वर्गों में बढ़ रही है।

देश में आज महिलाएं घर-बाहर, गांवों तथा शहरों, महानगरों तथा कस्बों सभी जगह असुरक्षित हैं। विवाहित महिलाओं के पति, सास, ससुर कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर नियोक्ताओं, शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों एवं सहपाठियों, गली एवं बाजार में गुंडों द्वारा हिंसा, उत्पीड़न, मारपीट, चीरहरण, छेड़खानी यौन शोषण इत्यादि का सामना करना पड़ता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश के 612 जिलों में किए अध्ययन के मुताबिक आधे से अधिक जिलों में यौन शोषण के लिए नागबालिग लड़कियों, युवतियों, बच्चों एवं महिलाओं की तस्करी होती है। सीबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में रेडलाइट क्षेत्रों में 13 लाख से अधिक महिलाएं वेश्यावृत्ति की शिकार हैं। मुंबई के कमाठीपुरम में लगभग 70,000 से अधिक यौनकर्मी हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा व बलात्कार के मामलों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

दहेज प्रथा महिलाओं की मौत का एक महत्वपूर्ण कारण है। महिलाओं की जिंदगी को नारकीय बनाने और अप्राकृतिक मौत का एक कारण है दहेज प्रतिदिन हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। गृह मंत्रालय की अपराध पंजीकरण शाखा की रिपोर्ट के अनुसार 1987 से 1991 तक दहेज के कारण हत्याओं में 170 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। यह समझा जाता है कि महिलाएं घर की चारदीवारी के



अंदर सुरक्षित हैं, परंतु वास्तविकता कुछ और की कहानी बयां करती है। महिलाओं के प्रति हिंसा के लिए जिम्मेदार स्वयं महिलाएं भी हैं केवल कानूनों के निर्माण से महिलाओं को घर में सुरक्षा एवं शांति प्राप्त नहीं होगी अपितु स्त्रियों के संबंध में पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

विश्व के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य में बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है परंतु इस परिवर्तनशील परिवेश में महिलाओं की स्थिति में उतनी तीव्र गति से सुधार नहीं हुआ है।

भारत में पंचायती राज की शुरुआत से एवं महिलाओं के सरपंच बनने से यह समझा गया है कि महिलाएं सशक्त हुई हैं। लेकिन तस्वीर कुछ अलग ही है। अनेक स्थानों पर महिला सरपंच के स्थान पर उसके पति का आदेश चलता है। महिला तो सिर्फ नाम की सरपंच होती हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है परंतु भारतीय संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। स्पष्ट है कि जन्म से मृत्यु तक महिलाओं का जीवन संघर्षमय है और उनका जीवन तिल-तिल जल रहा है। स्त्रियों की शक्ति का वर्णन करते समय स्त्रियों के दुखद पक्ष को नहीं भूलना चाहिए। भारत में महिलाओं की वास्तविक स्थिति क्या है? नारी सशक्तीकरण एवं नारी मुक्ति हेतु स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक समाज का पुनर्निर्माण होना चाहिए तथा एक ऐसे समाज

की स्थापना हो जहां महिलाओं का शोषण न हो तथा नारी के पांवों में पड़ी पायल रूपी जंजीर हमेशा के लिए टूट जाए और उसका आंचल उसकी गुलामी का नहीं अपितु आजादी का परचम बन कर लहराए।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. महिला सशक्तीकरण
2. नारी शिक्षा : एक महत्वपूर्ण पहल : डॉ. प्रदीप कुमार
3. विकास और महिला: डॉ. विश्वकान्ता प्रसाद
4. महिला और समाज : डॉ. शिव प्रसाद
5. महिला उत्पीड़न : डॉ. अशोक कुमार
6. नारी जीवन और चुनौतियां : डॉ. चन्द्रमणि सिंह
7. नारी के बढ़ते कदम : डॉ. विनय कुमार